

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र०

पत्रांक : /बा०वि०परि०/ कैम्प /2019-20 दिनांक : १९ मार्च 2020

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय - कोरोना वाइरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों, मुख्य सेविका, बाल विकास परियोजना अधिकारियों व जिला कार्यक्रम अधिकारीयों के प्रशिक्षण के संबंध में।

जैसा कि आप अवगत हैं कि कोरोना वाइरस का संक्रमण पूरे प्रदेश में फैल रहा है। इसकी व्यापकता और भयावस्ता को दृष्टिगत विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा इसे महामारी घोषित किया गया है। इस संबंध में यद्यपि पूर्व में आपको विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे, जिसके क्रम में आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों द्वारा स्वास्थ्य विभाग से प्रचार प्रसार सामग्री पम्पलेट, पोस्टर आदि के माध्यम से हाथ धोने उसकी विधि तथा लक्षण एवं बचाव के प्रयासों के बारे में जनसमुदाय को जागरूक किया जा रहा है।

कोरोना वाइरस की व्यापकता को देखते हुए यह आवश्यक है कि समस्त फील्ड स्तरीय कार्मिकों (आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों एवं मुख्य सेविकाओं, बाल विकास परियोजना अधिकारी को) विधिवत ढंग से स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी चिकित्साधिकारियों के माध्यम से कोरोना वाइरस के संक्रमण के कारण, लक्षणों, बचाव के उपायों, बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों के बारे में गहन प्रशिक्षण दिया जाय जिससे कि वे स्वयं को सुरक्षित रखते हुए आवश्यक सावधानी बरतें एवं अपने परिक्षेत्र में जन समुदाय को बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करें तथा डरे नहीं तथा सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करें।

कार्य योजना-

प्रशिक्षण का दिनांक
स्थान

- 22-3-2020
- जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाँ पर आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है।

समय
प्रशिक्षणार्थी

- 2 बजे से 4 बजे के मध्य
- आंगनबाड़ी कार्यक्रमी/मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रमी, मुख्य सेविका व बाल विकास परियोजना अधिकारी।

प्रशिक्षक

- प्रभारी चिकित्साधिकारी (एम.ओ.आई.सी.) व मुख्य चिकित्साधिकारी से अधिकृत चिकित्सक

प्रशिक्षण सामग्री

1- निदेशालय से प्रेषित प्रचार-प्रसार सामग्री, वीडियो पर

2— मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा
जनपद स्तर उपरोक्त से संबंधित
उपलब्ध करायी गयी प्रचार प्रसार
सामग्री।

जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्य—

निदेशालय से प्राप्त निर्देशों का अध्ययन करते हुए निर्देशों के साथ कोरोना वाइरस से बचाव हेतु कार्य योजना व प्रचार प्रसार सामग्री, वीडियों का अवलोकन/अध्ययन करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी तथा जिलाधिकारी द्वारा कोरोना वाइरस से बचाव हेतु जो भी प्रसार प्रचार सामग्री तैयार की गयी है उसको संकलित करते हुए फोल्डर तैयार करेंगे।

2— दिनांक 22-3-2020 को जनपद के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यथा—जहाँ आरोग्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है उन्हीं—2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर समस्त आंगनबाड़ी कार्यक्रियों एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रियों व मुख्य सेविकाओं को प्रशिक्षित किया जाना है।

3— प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यक्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रियों व मुख्य सेविकाओं को प्रशिक्षित किया जाना है के समय उपरोक्त प्रशिक्षकों को प्रत्येक गांव में घर—घर जाकर कोरोना वाइरस के विषय में बच्चों, किशोरियों, माताओं, अभिभावकों तथा वहाँ की जनता इत्यादि को संक्षण से बचाव के उपायों की जानकारी देने हेतु उन्हें प्रचार प्रसार सामग्री उपलब्ध करायी जाय और जब वह प्रशिक्षण स्थल में पहुँचे तब सामग्री उनके पास होनी चाहिए।

4— बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित करें कि वह परियोजना के अन्तर्गत समस्त मुख्य सेविकाएं/आंगनबाड़ी कार्यक्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रियों को सूचित करें कि प्रशिक्षण दिये जाने हेतु प्रशिक्षण स्थल पर पहुँचाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर किसी बाल विकास परियोजना अधिकारी या मुख्य सेविका को प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी नामित करें ताकि वह सुनिश्चित कर सकें कि जो निर्देश निर्गत किये गये हैं और जिस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाना है उसकी तैयारी पूर्ण है और सम्पूर्ण प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण में भाग लिया गया है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी अपने स्तर से स्वयं व जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से नोडल अधिकारी नामित करा लें जिनके द्वारा आंगनबाड़ी कार्यक्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रियों द्वारा दिया जा रहा है। प्रशिक्षण व बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों का अनुश्रवण किया जा सके तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वयं तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों के द्वारा भी इस प्रकार का भ्रमण कार्यक्रम

अपने स्तर से भी बनाना सुनिश्चित करे तथा ग्रह भ्रमण के दौरान संचारी रोग कुपोषित/अति कुपोषित, सैम/मैम बच्चों, एनीमिनया किशोरियों का सर्वे कार्य भी इस मध्य में जारी है तो भ्रमण के दौरान यह भी देखना सुनिश्चित करें कि विभाग के कार्य गुणवत्तापूर्वक किये जा रहे हैं। यदि कार्यों में कहीं शिथिलता पायी जाती है तो उन्हें आप मार्ग-दर्शन करें तथा अपने कुशल मार्ग दर्शन में निर्देशित करें। निदेशालय से जो आपको पूर्व में पत्र प्रेषित किये गये हैं वह पूर्ण हो सके। यद्वपि पोषण पखवाड़ा को भारत सरकार के निर्देश से स्थगित किया गया है फिर भी संचारी रोग व आरोग्य मेले का आयोजन पूर्व की भाँति आयोजित होना है उन्हें यथावत संचालित रखा जाय और विभाग का सर्वे कार्य जो पूर्व से हो रहे हैं उन्हें पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्य:-

जिला कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करें तथा दिनांक 22-3-2020 को आरोग्य मेले के पश्चात अपराह्न 2-4 बजे के मध्य समस्त आंगनबाड़ी कार्यक्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रियों व मुख्य सेविकाओं को प्रशिक्षण दिलवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए आप संबंधित प्रभारी चिकित्साधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रशिक्षण की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।

- 2— आंगनबाड़ी कार्यक्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रियों के प्रचार प्रसार सामग्री के माध्यम से गांव भ्रमण करके जन सामान्य को कोरोना वाइरस के बचाव के उपाय के बारे में प्रशिक्षण के उपरान्त जानकारी दिलाना सुनिश्चित करें।
- 3— मुख्य चिकित्साधिकारी व प्रभारी चिकित्साधिकारी से सम्पर्क करके बैठने की व्यवस्था, प्रशिक्षण का स्थल निर्धारित करायें तथा समयानुसार प्रशिक्षण पूर्ण करायें तथा स्वयं भी उस प्रशिक्षण में उन्हें कोरोना वाइरस के बचावों के उपाय से प्रेरित करें और अपने क्षेत्र में भ्रमण करके जन सामान्य को विभाग की योजना का जो सर्वे हो रहा है उसे जिला कार्यक्रम अधिकारी समयान्तर्गत पूर्ण करायें तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायें।

मुख्य सेविका का कार्य :-

जिला कार्यक्रम अधिकारियों के द्वारा जो प्रशिक्षण का रोस्टर जारी किया जाय उसके अनुसार अपने परिक्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यक्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रियों को निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करें। चिकित्सकों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान जो जानकारी दी गयी है उसके अनुरूप आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को अपने क्षेत्रान्तर्गत गांव में जन सामान्य को जागरूक करने के लिए प्रेरित करें तथा समयान्तर्गत सर्वे कार्य को पूर्ण करवायें।

आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों के कार्य।

दिनांक 22-3-2020 को जो प्रशिक्षण दिया जाय उसमें प्रचार-प्रसार सामग्री उपलब्ध करायी जाय प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रमियां स्वयं को सुरक्षित रखते हुए समुदाय के लोगों को अपने पास से दूर रहने, हैण्ड वाश समय समय पर करने, हाथ किसी से न मिलाये, पानी खूब पीयें, आदि के संबंध में प्रशिक्षण के दौरान दी गयी जानकारी से जा समुदाय को भ्रमण के दौरान अवगत करायें, उन्हे सचेत करें तथा कोरोना वाइरस के संक्रमण से बचने के लिए प्रेरित व जागरूक करें। यदि लोगों में कोई लक्षण दिखाई दे तो चिकित्सक के पास भेजें।

मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों में जिस तत्परता एवं लगन से कार्य किया जा रहा है उसी प्रकार कोरोना वाइरस के संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में जन समुदाय को जागरूक तथा प्रेरित करने के कार्य में अपनी प्रभावी भूमिका सिद्ध करें। हमें अपने प्रतिरक्षी तन्त्र को कवच बनाना है, जन समुदाय को जागरूक करना है। उरें नहीं, सकारात्मक सोच रखें तथा सुरक्षा के उपाय अपनायें।
“रोक—थाम इलाज से बेहतर है।”

(शत्रुघ्न सिंह)
निदेशक।

पृष्ठाकांन संख्या C-319 / तददिनांक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आप अपने कुशल नेतृत्व में विभाग का मार्ग दर्शन प्रदान करनें का कष्ट करें।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश के साथ कि सम्बन्धित प्रचार-प्रसार सामग्री जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायें तथा प्रशिक्षण हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी को नामित करें।
5. समस्त नोडल अधिकारी, मुख्यालय।

२५३१
(शत्रुघ्न सिंह) १९-३-२०
निदेशक।

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र०

पत्रांक : C-318 / बारियोपरि० / कैम्प / 2019-20 दिनांक : 18 मार्च 2020

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय – कोरोना वाइरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों, मुख्य सेविका, बाल विकास परियोजना अधिकारियों व जिला कार्यक्रम अधिकारियों के प्रशिक्षण के संबंध में।

जैसा कि आप अवगत हैं कि कोरोना वाइरस का संक्रमण पूरे प्रदेश में फैल रहा है। इसकी व्यापकता और भयावस्ता को दृष्टिगत विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा इसे महामारी घोषित किया गया है। इस संबंध में यद्यपि पूर्व में आपको विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे, जिसके क्रम में आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों द्वारा स्वास्थ्य विभाग से प्रचार प्रसार सामग्री पम्पलेट, पोस्टर आदि के माध्यम से हाथ धोने उसकी विधि तथा लक्षण एवं बचाव के प्रयासों के बारे में जनसमुदाय को जागरूक किया जा रहा है।

कोरोना वाइरस की व्यापकता को देखते हुए यह आवश्यक है कि समस्त फील्ड स्तरीय कार्मिकों (आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों एवं मुख्य सेविकाओं, बाल विकास परियोजना अधिकारी को) विधिवत ढंग से स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी चिकित्साधिकारियों के माध्यम से कोरोना वाइरस के संक्रमण के कारण, लक्षणों, बचाव के उपायों, बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों के बारे में गहन प्रशिक्षण दिया जाय जिससे कि वे स्वयं को सुरक्षित रखते हुए आवश्यक सावधानी बरतें एवं अपने परिक्षेत्र में जन समुदाय को बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करें तथा उन्हें नहीं तथा सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करें।

कार्य योजना-

प्रशिक्षण का दिनांक	- 22-3-2020
स्थान	- जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाँ पर आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है।
समय	- 2 बजे से 4 बजे के मध्य
प्रशिक्षणार्थी	- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मुख्य सेविका व बाल विकास परियोजना अधिकारी।
प्रशिक्षक	- प्रभारी चिकित्साधिकारी (एम.ओ.आई.सी.) व मुख्य चिकित्साधिकारी से अधिकृत चिकित्सक
प्रशिक्षण सामग्री	1- निदेशालय से प्रेषित प्रचार-प्रसार सामग्री, वीडियो पर

- 2— मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा
जनपद स्तर उपरोक्त से संबंधित
उपलब्ध करायी गयी प्रचार प्रसार
सामग्री।

जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्य—

निदेशालय से प्राप्त निर्देशों का अध्ययन करते हुए निर्देशों के साथ कोरोना वाइरस से बचाव हेतु कार्य योजना व प्रचार प्रसार सामग्री, वीडियों का अवलोकन/अध्ययन करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी तथा जिलाधिकारी द्वारा कोरोना वाइरस से बचाव हेतु जो भी प्रसार प्रचार सामग्री तैयार की गयी है उसको संकलित करते हुए फोल्डर तैयार करेंगे।

- 2— दिनांक 22-3-2020 को जनपद के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यथा—जहाँ आरोग्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है उन्हीं-2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर समस्त आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों व मुख्य सेविकाओं को प्रशिक्षित किया जाना है।

- 3— प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों व मुख्य सेविकाओं को प्रशिक्षित किया जाना है के समय उपरोक्त प्रशिक्षकों को प्रत्येक गांव में घर-घर जाकर कोरोना वाइरस के विषय में बच्चों, किशोरियों, माताओं, अभिभावकों तथा वहाँ की जनता इत्यादि को संक्षण से बचाव के उपायों की जानकारी देने हेतु उन्हें प्रचार प्रसार सामग्री उपलब्ध करायी जाय और जब वह प्रशिक्षण स्थल में पहुँचे तब सामग्री उनके पास होनी चाहिए।

- 4— बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित करें कि वह परियोजना के अन्तर्गत समस्त मुख्य सेविकाएं/आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों को सूचित करें कि प्रशिक्षण दिये जाने हेतु प्रशिक्षण स्थल पर पहुँचाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर किसी बाल विकास परियोजना अधिकारी या मुख्य सेविका को प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी नामित करें ताकि वह सुनिश्चित कर सकें कि जो निर्देश निर्गत किये गये हैं और जिस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाना है उसकी तैयारी पूर्ण है और सम्पूर्ण प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण में भाग लिया गया है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी अपने स्तर से स्वयं व जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से नोडल अधिकारी नामित करा लें जिनके द्वारा आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों द्वारा दिया जा रहा है। प्रशिक्षण व बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों का अनुश्रवण किया जा सके तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वयं तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों के द्वारा भी इस प्रकार का भ्रमण कार्यक्रम

2— मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा
जनपद स्तर उपरोक्त से संबंधित
उपलब्ध करायी गयी प्रचार प्रसार
सामग्री।

जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्य—

निदेशालय से प्राप्त निर्देशों का अध्ययन करते हुए निर्देशों के साथ कोरोना वाइरस से बचाव हेतु कार्य योजना व प्रचार प्रसार सामग्री, वीडियों का अवलोकन/अध्ययन करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी तथा जिलाधिकारी द्वारा कोरोना वाइरस से बचाव हेतु जो भी प्रसार प्रचार सामग्री तैयार की गयी है उसको संकलित करते हुए फोल्डर तैयार करेंगे।

2— दिनांक 22-3-2020 को जनपद के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यथा—जहाँ आरोग्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है उन्हीं—2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर समस्त आंगनबाड़ी कार्यक्रियों एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रियों व मुख्य सेविकाओं को प्रशिक्षित किया जाना है।

3— प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यक्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रियों व मुख्य सेविकाओं को प्रशिक्षित किया जाना है के समय उपरोक्त प्रशिक्षकों को प्रत्येक गांव में घर-घर जाकर कोरोना वाइरस के विषय में बच्चों, किशोरियों, माताओं, अभिभावकों तथा वहाँ की जनता इत्यादि को संक्षण से बचाव के उपायों की जानकारी देने हेतु उन्हें प्रचार प्रसार सामग्री उपलब्ध करायी जाय और जब वह प्रशिक्षण स्थल में पहुँचे तब सामग्री उनके पास होनी चाहिए।

4— बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित करें कि वह परियोजना के अन्तर्गत समस्त मुख्य सेविकाएं/आंगनबाड़ी कार्यक्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रियों को सूचित करें कि प्रशिक्षण दिये जाने हेतु प्रशिक्षण स्थल पर पहुँचाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर किसी बाल विकास परियोजना अधिकारी या मुख्य सेविका को प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी नामित करें ताकि वह सुनिश्चित कर सकें कि जो निर्देश निर्गत किये गये हैं और जिस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाना है उसकी तैयारी पूर्ण है और सम्पूर्ण प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण में भाग लिया गया है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी अपने स्तर से स्वयं व जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से नोडल अधिकारी नामित करा लें जिनके द्वारा आंगनबाड़ी कार्यक्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रियों द्वारा दिया जा रहा है। प्रशिक्षण व बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों का अनुश्रवण किया जा सके तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वयं तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों के द्वारा भी इस प्रकार का भ्रमण कार्यक्रम

अपने स्तर से भी बनाना सुनिश्चित करे तथा ग्रह भ्रमण के दौरान संचारी रोग कुपोषित/अति कुपोषित,सैम /मैम बच्चों,एनीमिनया किशोरियों का सर्वे कार्य भी इस मध्य में जारी है तो भ्रमण के दौरान यह भी देखना सुनिश्चित करें कि विभाग के कार्य गुणवत्तापूर्वक किये जा रहे हैं। यदि कार्यों में कहीं शिथिलता पायी जाती है तो उन्हें आप मार्ग-दर्शन करें तथा अपने कुशल मार्ग दर्शन में निर्देशित करें। निदेशालय से जो आपको पूर्व में पत्र प्रेषित किये गये हैं वह पूर्ण हो सके। यद्वपि पोषण पखवाड़ा को भारत सरकार के निर्देश से स्थगित किया गया है फिर भी संचारी रोग व आरोग्य मेले का आयोजन पूर्व की भाँति आयोजित होना है उन्हें यथावत संचालित रखा जाय और विभाग का सर्वे कार्य जो पूर्व से हो रहे हैं उन्हें पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्य:-

जिला कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करें तथा दिनांक 22-3-2020 को आरोग्य मेले के पश्चात अपरान्ह 2-4 बजे के मध्य समस्त आंगनबाड़ी कार्यक्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रियों व मुख्य सेविकाओं को प्रशिक्षण दिलवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए आप संबंधित प्रभारी चिकित्साधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रशिक्षण की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।

- 2— आंगनबाड़ी कार्यक्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रियों के प्रचार प्रसार सामग्री के माध्यम से गांव भ्रमण करके जन सामान्य को कोरोना वाइरस के बचाव के उपाय के बारे में प्रशिक्षण के उपरान्त जानकारी दिलाना सुनिश्चित करें।
- 3— मुख्य चिकित्साधिकारी व प्रभारी चिकित्साधिकारी से सम्पर्क करके बैठने की व्यवस्था,प्रशिक्षण का स्थल निर्धारित करायें तथा समयानुसार प्रशिक्षण पूर्ण करायें तथा स्वयं भी उस प्रशिक्षण में उन्हें कोरोना वाइरस के बचावों के उपाय से प्रेरित करें और अपने क्षेत्र में भ्रमण करके जन सामान्य को विभाग की योजना का जो सर्वे हो रहा है उसे जिला कार्यक्रम अधिकारी समयान्तर्गत पूर्ण करायें तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायें।

मुख्य सेविका का कार्य :-

जिला कार्यक्रम अधिकारियों के द्वारा जो प्रशिक्षण का रोस्टर जारी किया जाय उसके अनुसार अपने परिक्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यक्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रियों को निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करें। चिकित्सकों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान जो जानकारी दी गयी है उसके अनुरूप आंगनबाड़ी कार्यक्रियों को अपने क्षेत्रान्तर्गत गांव में जन सामान्य को जागरूक करने के लिए प्रेरित करें तथा समयान्तर्गत सर्वे कार्य को पूर्ण करवायें।

आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों के कार्य।

दिनांक 22-3-2020 को जो प्रशिक्षण दिया जाय उसमें प्रचार-प्रसार सामग्री उपलब्ध करायी जाय प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यक्रमियां स्वयं को सुरक्षित रखते हुए समुदाय के लोगों को अपने पास से दूर रहने, हैण्ड वाश समय समय पर करने, हाथ किसी से न मिलाये, पानी खूब पीयें, आदि के संबंध में प्रशिक्षण के दौरान दी गयी जानकारी से जा समुदाय को भ्रमण के दौरान अवगत करायें, उन्हे सचेत करें तथा कोरोना वाइरस के संक्रमण से बचने के लिए प्रेरित व जागरूक करें। यदि लोगों में कोई लक्षण दिखाई दे तो चिकित्सक के पास भेजें।

मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों में जिस तत्परता एवं लगन से कार्य किया जा रहा है उसी प्रकार कोरोना वाइरस के संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में जन समुदाय को जागरूक तथा प्रेरित करने के कार्य में अपनी प्रभावी भूमिका सिद्ध करें। हमें अपने प्रतिरक्षी तन्त्र को कवच बनाना है, जन समुदाय को जागरूक करना है। उरें नहीं, सकारात्मक सोच रखें तथा सुरक्षा के उपाय अपनायें।

‘रोक-थाम इलाज से बेहतर है।’


(शत्रुघ्न सिंह) 19-3-20
निदेशक।

पृष्ठाकांन संख्या / तददिनांक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आप अपने कुशल नेतृत्व में विभाग का मार्ग दर्शन प्रदान करनें का कष्ट करें।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, ०००० को इस अनुरोध के साथ कि सम्बन्धित प्रचार-प्रसार सामग्री जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायें तथा प्रशिक्षण हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी को नामित करें।
5. समस्त नोडल अधिकारी, मुख्यालय।


(शत्रुघ्न सिंह)
निदेशक।